भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2075

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2024/18 अग्रहायण, 1946 **(शक)**

महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए योजनाएं और नीति

2075. श्री हमदुल्ला सईद:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
सुश्री कंगना रनौत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दस वर्षों के दौरान देश में महिलाओं के लिए रोजगार सृजन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दस वर्षों के दौरान महिलाओं और युवाओं में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों और योजनाओं की सूची क्या है तथा प्रत्येक पहल के तहत रोजगार सूजन के मामले में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और युवाओं के रोजगार में काफी सुधार हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए बेहतर कार्य स्थितियां और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार महिला गिग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी नीति पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ.): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र करने का अधिकाधिक स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) यानी युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए रोजगार 2017-18 में 31.4% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गया है और महिला डब्ल्यूपीआर (15 वर्ष और उससे अधिक) 2017-18 में 22.0% से बढ़कर 2023-24 में 40.3% हो गया।

इसके साथ-साथ, हिमाचल प्रदेश में युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए डब्ल्यूपीआर 2017-18 में 36.8% से बढ़कर 2023-24 में 52.9% हो गया है और महिला डब्ल्यूपीआर (15 वर्ष और उससे अधिक) 2017-18 में 47.5% से बढ़कर 2023-24 में 62.3% हो गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने महिलाओं सहित देश में रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन, आदि है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार महिलाओं की रोजगार नियोजनीयता में सुधार के लिए मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं- किरण (वाइज-किरण), एसईआरबी-पावर (खोजी अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना) आदि जैसी महिला केंद्रित योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

महिला कामगारों की नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है।

महिला कामगारों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि सवेतन मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, शिशुगृह सुविधा, समान मजदूरी आदि भी शामिल है।

सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने और इससे संबंधित शिकायतों की रोकथाम के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (एसएच अधिनियम) अधिनियमित किया है।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट (2024-25) में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना और शिशुगृह की स्थापना की घोषणा की है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जनवरी, 2024 में "महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं के लिए परामर्शिका" जारी किया है। इस परामर्शिका में अन्य बातों के साथ-साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, जिसमें पितृत्व अवकाश, माता-पिता अवकाश, पारिवारिक आपातकालीन छुट्टी और लचीली कामकाजी व्यवस्था जैसे परिवार अनुकूलन उपाय शामिल हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जीवन और विकलांगता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का प्रावधान करती है।

*****